

न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/2013 पुनरावलोकन रिव्यू - 4499-I-13

श्री रमप्रसाद तिवारी  
द्वारा आज दि. 17/12/13 को  
प्रस्तुत

क=  
ब्लक ऑफ कोर्ट 18-13  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

ओंकार प्रसाद तिवारी पुत्र श्री रामप्रसाद  
तिवारी निवासी- ग्राम किरहाई पिपरीया  
तहसील बोहरीबंद जिला कटनी म०प्र०  
— आवेदक

बनाम

कुसुमबाई पत्नी श्री हल्लूचौधरी  
निवासिनी- ग्राम किरहाई पिपरीया तहसील  
बोहरीबंद जिला कटनी म०प्र०

—अनावेदिका

पुनरावलोकन (रिव्यू) आवेदन अन्तर्गत धारा 51 म०प्र०  
भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांकी 9/7/2013  
पारित द्वारा श्री एम०के०गोयल प्रशासकीय सदस्य महोदय  
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक  
611/1-12 व उनवान कुसुमबाई बनाम ओंकार प्रसाद

SK Chaudhary  
17/12/13

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 4499-एक/13

जिला कटनी

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों  
आदि के हस्ताक्षर


4-7-2016

आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह रिव्यु प्रकरण इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 611-एक/12 में पारित आदेश दिनांक 9-7-13 के विरुद्ध म0प्र0भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:-

- 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या
- 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या
- 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षों में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है ।

2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है ।



  
(मनाज गोयल)  
अध्यक्ष